ग्राम : सर्ड
Gram : SIRD

दूरभाष Phone : 05212-298292
फैक्स Fax : 05212-298291
ई.पी.बी.एक्स. EPBX : 05212-298209
Website : www.sirdup.in
E-mail : sirdup@sirdup.in

दी.द.उ. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान

बख्शी-का-तालाब, इन्दौरा बाग, लखनऊ-226202

D.D.U. State Institute of Rural Development

Bakshi-Ka-Talab, Indaurabagh, Lucknow-226202

पत्रांक Ref. No. 2819/16(76)/2014-15 दिनांक Date : 07.10.2014

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद–बाराबंकी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा,
कासगंज (कांशीरामनगर), फर्रूखाबाद, कन्नौज,
इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर,
कौशाम्बी, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, रायबरेली एवं ललितपुर।

विषय : विश्व बैंक सहायतित "उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फेज–II" के आच्छादित क्षेत्रों में "सहभागी सिंचाई प्रबन्धन" के प्रति जागरूकता अभियान (IEC) का संचालन किया जाना है।

पत्रांक /16(76)/2014–15 दिनांक अक्टूबर, 2014

महोदय,

अवगत हैं कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपके जनपद में विश्व बैंक सहायतित **'उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फेज–II'** का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ कर जल संसाधनों के समन्वित प्रबन्धन हेतु संस्थागत विकास, जल उपयोग क्षमता एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 'जल उपभोक्ता समितियों' का गठन एवं सिंचाई प्रणाली के रख–रखाव व संचालन में कृषकों की **'जल उपभोक्ता समिति'** की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है। कृषकों द्वारा सिंचन प्रणाली का संचालन, प्रबन्धन व रख–रखाव पर्याप्त रूप से तकनीकी प्रकृति का है तथा इस हेतु कृषकों की 'जल उपभोक्ता समितियों' के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास की अपरिहार्यता है। कृषकों में इस कार्यक्रम के प्रति जन जागरूकता फैलाकर उन्हें जल उपभोक्ता समितियों में गठित होने और सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की समझ, अपेक्षित तकनीकी, वित्तीय व प्रशासनिक जानकारी एवं क्षमता विकास का दायित्व शासन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को सौंपा गया है।

2. यह भी आप अवगत हैं कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा गत वित्तीय वर्ष में ही आपके जनपद में इस जन जागरण अभियान के प्रथम सोपान के रूप में **'जनपद स्तरीय लॉचिंग वर्कशाप'** आपके कुशल मार्गदर्शन में आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, कृषकों व सम्बन्धित विभिन्न विभागों के जनपदीय व फील्ड स्तरीय कार्मिकों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया गया था। अब कार्यक्रम के द्वितीय सोपान के अन्तर्गत परियोजना के आच्छादित क्षेत्रों में कृषकों में **सहभागी सिंचाई**

प्रबन्धन एवं परियोजना के उद्देश्यों व क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता पैदा कर उन्हें जल उपभोक्ता समितियों के गठन के प्रति प्रेरित किया जाना है ताकि सिंचाई विभाग के स्थानीय कार्मिकों द्वारा परियोजना क्षेत्र के आच्छादित ग्रामों में **नहर प्रणालीवार जल उपभोक्ता समितियों** का गठन किया जा सके। जल उपभोक्ता समितियों के गठन के उपरान्त ही राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा आपके जनपद से सम्बन्धित क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान के माध्यम से जल उपभोक्ता समितियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

3. **जन जागरण अभियान (IEC)** के संचालन हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा परियोजना क्षेत्र के सभी जनपदों में दिनांक 16.10.2014 से अगले छह माह तक **सिंचाई रथ** का संचालन किया जायेगा। इस हेतु आई0ई0सी0 मैटेरियल, संसाधनों एवं विशेषज्ञों तथा लोक कलाकारों से सुसज्जित सिंचाई रथ आपके जनपद में दिनांक 15.10.2014 को सिंचाई विभाग के अधीन गठित **'प्रखण्डीय सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्रकोष्ठ' (Divisional PIM Cell)** में पहुँचेगा। आपके जनपद में परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों में पड़ने वाले ग्रामों के नहर प्रणालीवार जन जागरण का **सुझावात्मक रोस्टर** राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा जनपद के सिंचाई विभाग के अधिकारियों व क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान से परामर्श कर तैयार किया गया है जो पत्र के साथ **संलग्न** है। यह रोस्टर सुझावात्मक है, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों व आवश्यकता के अनुरूप जनपद स्तर पर अपेक्षित संशोधन किया जा सकता है।

4. यह भी अवगत कराना है कि सिंचाई रथ में प्रोजेक्टर, डीजल जनरेटर, कम्प्यूटर, जी0पी0एस0 मानीटरिंग सिस्टम, वीडियो–कैमरा आदि कीमती उपकरण स्थापित हैं और साथ ही उसमें लोक कलाकार व जन जागरण कर्मी भी तैनात हैं। अतः जन जागरण की अवधि में सिंचाई रथ तथा उसमें स्थापित मशीन–उपकरणों व कार्मिकों की सुरक्षा व संरक्षा आवश्यक है ताकि असामाजिक/आपराधिक तत्वों द्वारा उन्हें क्षति न पहुँचाई जा सके और जन जागरण अभियान में किसी किस्म की कोई रूकावट न आ सके।

5. अतः अनुरोध है कि अपने स्तर पर पुलिस, राजस्व, सिंचाई, भूमि विकास एवं जल संसाधन, पंचायतीराज व ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों की बैठक कर उक्त अभियान को अन्तिम रूप देते हुए समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही अभियान के सफल संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी अथवा किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी भी नामित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

7.10.2014

(एन0 एस0 रवि)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

पत्रांक 2819 /16(76)/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद–बाराबंकी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज (कांशीरामनगर), फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, रायबरेली एवं ललितपुर को इस अनुरोध के साथ कि जन जागरण अभियान की अवधि में उपरोक्तानुसार सुरक्षा एवं संरक्षा उपलब्ध कराने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. अधिशासी अभियन्ता, भोगनीपुर–प्रखण्ड एल0जी0सी0, जनपद–इटावा, सिंचाई–प्रखण्ड, एल0जी0सी0, जनपद–इटावा, सिंचाई खण्ड कौशाम्बी स्थित–मंझनपुर, जनपद–कौशाम्बी, सिंचाई खण्ड औरैया, राट दिवियापुर, जनपद–औरैया, फतेहपुर प्रखण्ड, एल0जी0सी0, जनपद–फतेहपुर, सिंचाई खण्ड फतेहपुर, जनपद–फतेहपुर, सिंचाई खण्ड कासगंज, जनपद–कासगंज, सिंचाई खण्ड फर्रूखाबाद जनपद–फर्रूखाबाद, सिंचाई खण्ड एटा, जनपद–एटा, मैनपुरी–प्रखण्ड, एल0जी0सी0, जनपद–मैनपुरी, सिंचाई प्रखण्ड कन्नौज, जनपद–कन्नौज, कानपुर–प्रखण्ड, एल0जी0सी0, फूलबाग कालोनी, जनपद–कानपुर, सिंचाई प्रखण्ड कानपुर देहात, जनपद–कानपुर देहात, सिंचाई खण्ड लखनऊ, वाल्मी परिसर उतरेटिया, जनपद–लखनऊ, सिंचाई खण्ड ललितपुर, जनपद–ललितपुर को इस अनुरोध के साथ कि जन जागरण अभियान प्रारम्भ होने के पूर्व उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी के स्तर पर समन्वय बैठक आयोजित कराने का कष्ट करें।

3. आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, रायबरेली, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, बाराबंकी, ललितपुर एवं कासगंज को उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

4. मुख्य अभियन्ता पैक्ट, वाल्मी भवन, उतरेटिया, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

5. मण्डलायुक्त, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, झाँसी, कानपुर तथा लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. प्रमुख सचिव सिंचाई एवं अध्यक्ष पैक्ट, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7.10.2014

(एन0 एस0 रवि)
महानिदेशक